क्रमांक 3399-1 जी: एस-1-72/18744

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला मण्डल,
सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा
उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 19-6-72

विषय :—तदर्थ आधार पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आयु में ढील देने के बारे में ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4859-1 जी: एस-1-72/25313, दिनांक 25-8-71 की ओर दिलाऊं जिसके द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या तदर्थ आधार पर नियुक्ति सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो कि अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, आयु में ढील दी जाए ताकि वे नियमित रूप में सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए लोक सेवा आयोग/अधीन सेवायें प्रवरण मण्डल को अपने आवेदन पत्र भेज सकें तथा आपको यह निर्णय सूचित किया गया था कि तदर्थ आधार पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आयु में ढील न दी जाए और बोर्ड तथा आयोग द्वारा चुने हुए उम्मीदवार जब उपलब्ध हो जाएं तो तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को सरकारी सेवा से फारिग कर दिया जाए ।

2. सरकार ने इस प्रश्न पर पुन: विचार किया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, जोकी किसी पद पर तदर्थ नियुक्त के समय ओवर-ऐज नहीं थे, किन्तु तदर्थ नियुक्ति के दौरान ओवर-ऐज हो गए और ओवर-ऐज होने तक आयोग/बोर्ड द्वारा उस पद पर रैगुलर नियुक्ति करने हेतु लिए जाने वाले एक भी टैस्ट/सलैक्शन का अवसर प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि एक भी टैस्ट/सलैक्शन उस पीरियड में नहीं हुआ, उनकी आयु में ढील उतने समय के लिए दे दी जाए जितने समय में वे आयोग/बोर्ड से सलैक्शन कराने का एक अवसर ले सकें दूसरे शब्दों में आयु में ढील केवल आयोग/बोर्ड से नियमित नियुक्ति के लिए कई बार सलैक्शन करवाने का मौका देने के लिए ही दी जानी है और यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी एक अवसर पर फायदा नहीं उठाते या इस अवसर पर अपना सलैक्शन करवाने में असफल रहते हैं तो उन्हें पुन: सलैक्शन करवाने के लिए आयु में कोई ढील नहीं दी जानी है । यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं तदर्थ आधार पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आयु में ढील दी जाती है जो इस समय सरकारी सेवा में हैं और जो व्यक्ति आयोग/बोर्ड से रैगुलर उम्मीदवार प्राप्त होने के कारण सेवा से निकाले जा चुके हैं । उनको आयु में कोई ढील नहीं दी जानी है ।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में इन अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए और यह अनुदेश अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिए जाएं । कृपया इस पत्र की पावती भी भेजी जाए ।

भवदीय,

ह0

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवायें
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।